



सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**RAILWAY RECRUITMENT BOARDS**



**Modification Window for Course Completed Act Apprentices**  
**(CCAAs) Trained in Railway Establishment Under CEN No. 08/2024**

1. CCAAs trained in Railway Establishment are given due weightage of marks obtained in their NCVT examination in preparation of final merit list after conduct of CBT. CCAAs trained in Railway Establishment are exempted from Physical Efficiency Test (PET) also.
2. As per para 12.2 of Centralized Employment Notice No. 08/2024 candidates who appeared in the NCVT exam before the last date of online application, the result for which might not have been declared are considered to have completed the Act apprenticeship training.
3. Vide notice dated 03.02.2025, CCAA candidates trained in Railway Establishment and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC) issued by NCVT on the date of application were advised to **fill duration of training, certificate details and marks** obtained in the online applications. Vide the same notice, CCAA candidates who appeared in NCVT examinations before the last date of online application but **result for which was not declared** were advised to **fill the date of examination in the online application, with a flag that the results were awaited**.
4. Now, in order to facilitate such candidates in furnishing their certificate details and marks obtained in the NCVT examination, thereby enabling calculation of their due weightage under the CCAA quota, a window for application modification under CEN No. 08/2024 will be opened from **17.06.2026 (00:01 hrs) to 23.06.2026 (23:59 hrs)**. This facility shall be available only to those CCAA candidates who appeared in the CBT, had not furnished their marks in the online application, and had indicated the date of their last NCVT examination. Such candidates may use this modification window to fill in or update their certificate details and marks obtained in the NCVT examination.
5. Candidates who fail to update certificate details and marks in the online application during the modification window will not be treated as "CCAAs Trained in Railway Establishment and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT".
6. NCVT examination details filled by the candidates will be verified during document verification. Candidature of the candidates will be subject to correctness of the details.

Date: 16.06.2026

**Chairpersons**  
**Railway Recruitment Boards**



सत्यमेव जयते

# भारत सरकार, रेल मंत्रालय

## रेलवे भर्ती बोर्ड



### CEN No. 08/2024 के तहत रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस (CCAAs) के लिए संशोधन विंडो

1. रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित CCAAs को CBT के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उनके NCVT परीक्षा में प्राप्त अंकों का उचित वेटेज दिया जाता है।  
रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित CCAAs को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट दी जाती है।
2. केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2024 के पैरा 12.2 के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व NCVT परीक्षा में भाग लिया था, किन्तु जिनका परिणाम उस समय तक घोषित नहीं हुआ था, उन्हें अधिनियम प्रशिक्षुता (Act Apprenticeship) प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा।
3. दिनांक 03.02.2025 की नोटिस के द्वारा, रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित और आवेदन की तारीख पर NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) रखने वाले CCAA उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में ट्रेनिंग की अवधि, सर्टिफिकेट का विवरण और प्राप्त अंक भरने की सलाह दी गई थी। उसी नोटिस के अनुसार, CCAA उम्मीदवारों जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले NCVT परीक्षा दी थी, लेकिन जिसका परिणाम घोषित नहीं हुआ था, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तारीख भरने के साथ परिणाम प्रतीक्षित चुनने की सलाह दी गई थी।
4. अब, ऐसे अभ्यर्थियों को सुविधा दी जा रही है कि वे प्रमाण-पत्रों का विवरण एवं NCVT परीक्षा में प्राप्त अंक का विवरण भरे जिससे कि CCAA कोटा के अंतर्गत उनको देय वेटेज की गणना हो सके, CEN संख्या 08/2024 के अंतर्गत आवेदन संशोधन हेतु एक विंडो 17.06.2026 (00:01 बजे) से 23.06.2026 (23:59 बजे) तक खोली जाएगी। यह सुविधा केवल उन CCAA अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने CBT परीक्षा में भाग लिया है, ऑनलाइन आवेदन में अपने अंक दर्ज नहीं किए थे तथा अपनी अंतिम NCVT परीक्षा की तिथि अंकित की थी। ऐसे अभ्यर्थी इस संशोधन विंडो का उपयोग कर अपने प्रमाण-पत्रों का विवरण तथा NCVT परीक्षा में प्राप्त अंकों को भर या अपडेट कर सकते हैं।
5. जो उम्मीदवार संशोधन विंडो के दौरान ऑनलाइन आवेदन में सर्टिफिकेट का विवरण और अंक अपडेट करने में विफल रहते हैं, उन्हें "रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित CCAAs और NCVT द्वारा दिए गए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) वाले" नहीं माना जाएगा।
6. उम्मीदवारों द्वारा भरे गए एनसीवीटी परीक्षा विवरण को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विवरणों की सत्यता पर निर्भर होगी।

दिनांक : 16.06.2026

अध्यक्ष  
रेलवे भर्ती बोर्ड